



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1470]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2007/अग्रहायण 7, 1929

No. 1470]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2007

का.आ. 2002(अ).—यतः पश्चिम बंगाल राज्य के मै. यूनीटेक हाइ-टेक स्ट्रक्चर्स लि. ने पश्चिम बंगाल राज्य के राजरहाट, कोलकाता में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त पश्चिम बंगाल राज्य के राजरहाट, कोलकाता में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 9 अगस्त, 2007 को अनुमोदन-पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के राजरहाट, कोलकाता में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	एक्शन एरिया आईडी न्यू टाउन	डीएच-01	10.12
2.		डीएच-02	1.82
3.		डीएच-03	3.91
4.		डीएच-03/1	3.73
		48.383	19.58

[फा. सं. एफ. 2/114/2005-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

4806 GI/2007

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2007

S.O. 2002(E).—Whereas M/s. Unitech Hi-tech Structures Ltd., of the State of West Bengal, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services sector at Rajarhat, Kolkata, in the State of West Bengal;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at the said Rajarhat, Kolkata, West Bengal District in the State of West Bengal on 9th August, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Rajarhat, Kolkata, in the State of West Bengal, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Plot No.	Area (in hectares)
1.	Action area I D, New Town	DH-01	10.12
2.		DH-02	1.82
3.		DH-03	3.91
4.		DH-03/1	3.73
		48.383	19.58

[F. No. F. 2/114/2005-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.